प्रेस नोट, दिनाँक - 30.04.2025

▶ **थाना दातागंज पुलिस तथा ए०एन०टी०एफ० यूनिट, बरेली की संयुक्त टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

▶ **अभियुक्तगण के कब्जे से 10 किलो ग्राम अवैध अफीम व 13,610 रुपये व दो अदद मोबाईल फोन तथा एक चार पहिया गाड़ी (ईको) की गई बरामद।**

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ए0एन0टी0एफ0 तथा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी दातागंज के कुशल पर्यवेक्षण में ए०एन०टी०एफ० यूनिट बरेली व थाना दातागंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 02 सक्रिय अभियुक्त गण 1. इरशाद खाँ पुत्र इरफान खाँ निवासी ग्राम चदौंरा थाना बिनावर जिला बदायूँ 2. रामवीर सिंह पुत्र नवल किशोर निवासी ग्राम नबाबगंज थाना बिनावर जनपद बदायूँ को आज दिनांक 30.04.2025 को समय करीब 08.35 बजे दातागंज - बदायूं रोड पर स्थित ईस्माईलपुर चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 10 किलो ग्राम अफीम व 13,610 रुपये व दो अदद मोबाईल फोन व एक चार पहिया गाडी (ईको) बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्तगण अवैध अफीम को वाहर से (कानपुर) सस्ते में लाकर महंगे रेट में बेच कर धन अर्जित करते है। इस सम्बन्ध में थाना दातागंज जनपद बदायूँ में मु0अ0स0 0152/25 धारा 8/18/29/60 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभि0गणो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण-

1. इरशाद खाँ पुत्र इरफान खाँ उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौरा थाना बिनावर जनपद बदायूँ ने घटना के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि मैं ठेके पर गाड़ी चलाने का काम करता हूँ। रामवीर पुत्र नवल किशोर निवासी ग्राम नवाबगंज अम्बियापुर थाना बिनावर जनपद बदायूँ को पहले से जानता हूँ यह मेरी गाडी को बुकिंग पर ले जाता है। मै रामवीर के साथ अपनी गाडी ईको से कानपुर जाकर वहाँ से सस्ते में अफीम लाकर हम लोग यहाँ मंहगी करके बेचा करते हैं। मैं पहले भी रामवीर के साथ दो बार कानपुर जा चुका हूँ।

2. रामवीर सिंह पुत्र नवल किशोर निवासी ग्राम नबाबगंज अम्बियापुर थाना बिनावर जनपद बदायूँ ने घटना के संबन्ध मे पूछने पर बताया कि मैं अपनी खेती के साथ – साथ समय मिलने पर मोगा पंजाब मजदूरी करने चले जाता हूँ एक व्यक्ति झारखण्ड का रहने वाला था जिससे बात होती थी मै अपने मोबाइल करीब एक महीने पहले मै कानपुर गया था उसी व्यक्ति से 02 किलो अफीम खरीदकर लाया था इरशाद पुत्र इरफान निवासी ग्राम चन्दौरा थाना बिनावर जिला बदायूँ को उसकी गाड़ी के साथ ले जाता हूँ। उस व्यक्ति से लगातार बात होती थी उसने कानपुर फतेहपुर रोड पर बुलवाया था, कल दिनांक 29.04.25 को अपने साथी इरशाद के साथ रात्रि में करीब 10 बजे कानपुर पहुँच गये थे। फतेहपुर रोड पर पहुँचकर वह व्यक्ति रोड किनारे बने होटल के पास हम लोगों को मिला। रात्रि करीब 12.00 बजे उसने एक थैले मे 10 किलो अफीम लाकर हमको दी थी मैने उसे रूपये दे दिये थे। मै तथा इरशाद ने कुछ अफीम अपने पास तथा कुछ गाडी मे रख ली थी और वहाँ से चलकर फरूखार्बाद होकर आ

रहे थे जब हम आज सुबह के समय डहरपुर से आगे पहुचे थे तभी पुलिस वालो ने पकड लिया था। अफीम सप्लाई करने वाले के नाम पता के बारे पूछा गया तो बताया कि मेरा पास मोबाइल नम्बर याद है जो बता दिया है उसका नाम पता मालूम नहीं है।

गिरफ्तारी का स्थान –

दातागंज बदायूं रोड पर स्थित ईस्माईलपुर चौराहा से थाना दातागंज क्षेत्र जनपद - बदायूं ।

गिरफ्तार किये गये अभि0गण का नाम –

- इरशाद खाँ पुत्र इरफान खाँ निवासी ग्राम चदौंरा थाना बिनावर जिला बदायूँ
- रामवीर सिंह पुत्र नवल किशोर निवासी ग्राम नबाबगंज थाना बिनावर जनपद बदायूँ।

अभि0गण का अभियोग / अपराधिक इतिहास –

- मु0अ0स0 0152/25 धारा 8/18/29/60 NDPS ACT थाना दातागंज जनपद बदायूँ
- मु0अ0सं0 262/2022 धारा 8/21 NDPS ACT थाना बिनावर जनपद बदायूँ बनाम रामवीर सिंह पुत्र नवल किशोर निवासी ग्राम नबाबगंज थाना बिनावर जनपद बदायूँ

बरामदगी का विवरण –

- 10 किलो ग्राम अफीम व 13610 रुपये व दो मोबाईल फोन व ईको गाडी बरामद हुए।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम–

- ए०एन०टी०एफ० यूनिट, बरेली।
- थाना दातागंज पुलिस, बदायूँ ।

मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।